


FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of H.P.
Office of the District Collector



No. SML-SR(57)/2016- 1440


Dated: 28/3/17

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0-20-99 hecter of forest land proposed to be diverted in favour of the Superintendent of Police, Shimla- for construction of building of Police Post Building at Jutogh, Tehsil Shimla-Rural District Shimla (purpose for diversion of forest land) in Shimla District falls within jurisdiction of Shimla-Rural Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-20-99 hecter of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to IX
- (b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication. In vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha is enclosed as annexure 1 to
- (d) the discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of FRA



Encl: As above

(Rohan Chand Thakur)
District Collector, Shimla

ANNEXURE-IV

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA
DISTRICT SHIMLA HIMACHAL PRADESH

Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Shimla District, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/ Chairpersonship of Shri Rohan Chand Thakur, IAS, Deputy Commissioner, Shimla on 09-03-2017. At 4.00 P.M Shimla in which the application(s) of applicants of Gram Sabha, Ward Totu claiming rights in Village forest area(s) 0-20-99 hect. under FRA,2006, duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee Shimla-Rural were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and hence admitted:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	

Claims of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr.No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
		--Nil--	


OR


As informed by SDO (Civil) Shimla-Rural, no application was received from Gram Sabha claiming right in 0-20-99 hect forest area.

Place: Shimla

Date: 09-03-2017

Deputy Commissioner-Cum- Chairman





PROCEEDING OF THE MEETING OF DISTRICT LEVEL FOREST RIGHT COMMITTEE HELD ON 09-03-2017 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SHRI Rohan Chand Thakur, IAS, DEPUTY COMMISSIONER, SHIMLA.


At the very outset the Addl. District Magistrate (L&O) welcomed all the members of the committee and a total cases for issuance of Forest Right Certificate which have been received from the Sub-Divisional Committee placed before the District Level Forest Right Committee and after detail discussuion following decision were taken.


All the cases which were placed before the committee has been approved to be processed under FCA.

The meeting ended with vote of thanks.

(Ashu Verma
DPO Rampur)

(Ash
AMIT GUPTA
DPO Shimla)


(
ASHU)

(
(Ashu Verma)

() ()

(Anil Kumar
(Z.P.) Anil)

()


Deputy Commissioner-Cum-Chairman
District Level Forest Right Committee
Shimla District Shimla, H.P.

DA-III
Baran.



(Office of the Sub-Divisional Officer (Civil), Shimla (R) District Shimla (HP))

Proceeding of the meeting of the Sub-Divisional level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Right Act (FRA) 2006.

A Meeting of the Sub Divisional Committee of Shimla Rural Sub Division, constituted under FRA, 2006 was held under the Chairmanship/of **Sh Gian Sagar Negi**, SDO (Civil) Shimla Rural on **02-03-2017 at 11-00 AM/PM** at Shimla (Place) in which the applications submitted by applicants/Department of **Superintendent of Police, Shimla District Shimla-1** was discussed and recommended the same is to District Level Committee for approval.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicant(s) were found to be in order and recommended for admission to District level admitted:

S. No.	Name of Applicant	Name of forest	Detail of forest Right
1.	No Clame from anybody has been received	UPF Totu	Construction of new Police Post Building at Jutogh area 0-20-99 Hect.

Claims of following applicants were not found in order and hence rejected:-

S. No.	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of forest Right
1.	-	-	-
2.			

OR

As informed by _____ Gram Sabha on application was received claiming rights in _____ forest area.

Place: Shimla

Date: 02-03-2017

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

वार्ड सभा टुटु
वार्ड नं 6

आज दिनांक 14.5.16 को वार्ड नं 6 की वार्ड सभा का आयोजन माननीय पार्षद श्रीमति निर्मला चौहान की अध्यक्षता के अन्तर्गत वार्ड सभा के गठन हेतु आयोजित की गई। वार्ड में वार्ड सभा के 3470 सदस्यों में से 1831 सदस्य उपस्थित हुए जिनकी उपस्थिती रजिस्टर में पृष्ठ सारणी I पर दर्ज है।

वार्ड सभा द्वारा सर्वसम्मति से वार्ड सभा/समिति वार्ड टुटु वार्ड नं 6 का गठन किया गया।

- | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------|-------------|----------|
| 1. | श्रीमति निर्मला चौहान (पार्षद) | अध्यक्ष | 86799750140 | Nirmala |
| 2. | श्रीमति रंजनी | सदस्य | 9816042466 | Ranjana |
| 3. | श्रीमति संगीता | सदस्य | 8091531321 | Sangita |
| 4. | श्रीमति नीलम | सदस्य | 9418400536 | Nilam |
| 5. | श्रीमति कमला | सदस्य | | Kamla |
| 6. | श्रीमति कलावती | सदस्य | | Kalavati |
| 7. | श्री देवेन्द्र उर्फ जुली | सदस्य | 9882065508 | Devendra |
| 8. | श्री सुरेन्द्र कुमार | सदस्य | 9816403847 | Surender |
| 9. | श्री शिव राम भारद्वाज | सदस्य | 948383258 | Shivram |
| 10. | श्री डोला राम | सदस्य | 9816698264 | Dola |

इस के अतिरिक्त आयुक्त महोदय द्वारा वार्ड टुटु वार्ड नं 6 में श्री चारे लाल को वार्ड सचिव नियुक्त किया गया।

अध्यक्ष/पार्षद वार्ड सभा
वार्ड नं 6
वार्ड

Payal
वार्ड सचिव
वार्ड नं 6

Nirmala Chauhan
Councillor
Ward No. 6
Tutu, Shimla

Secretary
Forest Rights Committee
Ward No-6, Tutu
Shimla-11

वन अधिकार समिति

4

आज दिनांक 14.4.16 को वार्ड नं 6 की वार्ड समिति की बैठक माननीय पार्षद श्रीमति निर्मला चौधन की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकार समिति के गठन हेतु आयोजित की गई जिस में वार्ड समिति के 3470 सदस्यों में से 1831 सदस्य उपस्थित हुए जिस उपस्थिति रजिस्टर में पृष्ठ संख्या I पर दर्ज है।

उपरोक्त सदस्यों द्वारा सर्व समिति से वन अधिकार समिति का गठन किया गया तथा निम्नालिखित सदस्यों का चयन किया गया

1. श्री शम आरु संगरीली अध्यक्ष अध्यक्ष 9418118193 (M.P. Sangari)
2. श्रीमति निर्मला चौधन सदस्य 8679975014 (Nirmala)
3. श्री राजीव सुंदर मैन चौक दुह सदस्य 9418109298 (Rajiv)
4. श्री सुरेन्द्र बाटुला रथर पीटरी दुह do 9816637005 (Sunder)
5. श्री रोसन लाल डोगरा नाला गढ़ रोड सिवन्गर do 9418659489 (Roshan)
6. श्री सुशील ठाकुर लोआर दुह do 9418037930 (Sushil)
7. श्री सुरेन्द्र ठाकुर मैन चौक दुह do do
8. श्रीमति कौसल्या मजराठ do 9816136281 (Kausalya)
9. श्रीमति निर्मला चार हज न्यु दुह do 2837575 (Nirmala)
10. श्रीमति बेना प्रिय नगर do do
11. श्रीमति शष्पा निपर काली माता मंदिर do do
12. श्री सुसमा अर्मा लोमर दुह 9857280207 (Sushma)
13. श्रीमति रीतु वर्मा गोविन्द मुहल्ला do do

इस के अतिरिक्त वार्ड सचिव को वन अधिकार समिति का सचिव नियुक्त किया गया

M. Sangari
अध्यक्ष
वार्ड नं 6

Secretary
Forest Rights Committee
Ward No-6, Totu
Shimla-11

माननीय अध्यक्ष

वार्ड समिति द्वारा वन अधिकार समिति को दीनजी एवं व सामुदायिक क्षेत्रों को आमंत्रित करने एवं उनकी स्वीकृति देने का कार्य सौंपा जाता है जिस के लिए 70 दिन का समय दिया जाए।

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिनिधि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 18

दिनांक 14-4-16

वन अधिकारी समिति ग्राम सभा

को 2.00 बजे स्थान

की अध्यक्षता में की गई जिसमें

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल / वन क्षेत्र में (जिसमें

के निर्माण के लिए 2099 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।)

दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा

द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

जंगल का नाम

वन अधिकार का व्यौरा

1 1.M.C. वाड्डे इट्टे

जतारा-इट्टे

गाँवियों के इलावा किसी प्रकार के फंडेड नहीं है।

तदनुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०

*पात्र गांव वासी का नाम

1

2

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान Tutu

दिनांक 14-4-2016

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

Chairman

Forest Rights Committee

Ward No-6, Tutu

Shimla-11

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

पुलिस चौकी जतारा भवन निर्माण के

6

वन अधिकार समिति टुटू

आज दिनांक 14.04.2016 को वन अधिकार समिति, राजस्व टुटू की बैठक वन अधिकार समिति के अध्यक्ष श्री एम0आर0 सगरौली की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 3470 सदस्यों में से 1831 सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की। इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि पुलिस चौकी जतोग के नए भवन निर्माण के वन अधिकार के तहत खसरा न0 1/2/1 रकबा 0-20-99 है0 नजद यादगार टुटू पर वन भूमि को उक्त पुलिस चौकी को स्थानान्तरित करने के बारे में वन अधिकार समिति में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई जिसमें सर्व सहमति से निर्णय लिए गए कि उक्त खसरा न0 पर पुलिस चौकी जतोग के भवन निर्माण के लिए भूमि दी जाती है तो वन अधिकार समिति टुटू को कोई आपत्ती नहीं होगी। अतः प्रस्ताव की प्रति वार्ड सभा टुटू को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Pragat
सचिव

वन अधिकार समिति टुटू

Secretary
Forest Rights Committee
Ward No-8, Totu
Shimla-11

एम. सगरौली

Chairman
Forest Rights Committee
Ward No-6, Totu
Shimla-11

वन अधिकार समिति टुटू

7

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
ग्राम सभा.....
प्रतिलिपी प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 18

ग्राम सभा M.C. वाड डूडू की बैठक आज दिनांक 14-4-16 को 2:30
बजे स्थान डूडू में श्री/ श्रीमति निर्मला चौहान की अध्यक्षता में की
गई जिसमें M.C. वाड डूडू गांव की अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पुलिस चौकी डूडू जंगल / वन
क्षेत्र में (जिसमें पुलिस विभाग द्वारा पुलिस चौकी डूडू के निर्माण के
लिए 2099 हैक्टयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु ग्राम
सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की
गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के
उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्र०सं०

1

2

*पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम

M.C. वाड डूडू डूडू

वन अधिकार का व्यौरा

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे खण्ड स्तर की समिति को
प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र०सं०

1

2

*पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार
में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान Totu

दिनांक 14-4-16

Nirmala Chauhan

Councillor

Ward No. 6

Tutu, Simla

ग्राम सभा

Secretary
Forest Rights Committee
Ward No-6, Totu
Simla-11

* ग्रामवासी / ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र / जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए
आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट / कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी है।

वन पुलिस - मे. 7

8

Annexture-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा M.C. टुतु वार्ड 6
विकास खण्ड बसलपुर जिला शिमला (हि0प्र0)

प्रतिलिपी प्रस्ताव

गणपूर्ति 3470/1831

दिनांक 14-4-2016

प्रस्ताव संख्या 18

विषय: पुलिस के निर्माण हेतु विभाग/संस्था को पुलिस चौकी जलौग-टुतु जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 2099 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा M.C. टुतु वार्ड 6 को 14-4-16 2:30 बजे, स्थान पुलिस चौकी जलौग-टुतु की बैठक आज दिनांक 14-4-16 2:30 बजे, स्थान पुलिस चौकी जलौग-टुतु की गई, जिसमें पुलिस विभाग/संस्था को पुलिस चौकी जलौग-टुतु के निर्माण हेतु 2099 हैक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई है।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली है तथा प्रस्तावित 2099 हैक्टर वन भूमि को पुलिस चौकी जलौग-टुतु के निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा M.C. टुतु वार्ड 6 की सहमति दी जाती है।

स्थान Totu
दिनांक 14-4-16.

Nirmala Maunhan
Councillor
Ward No. 6
Tutu, Shimla

Secretary
Forest Rights Committee
Ward No-6, Totu
Shimla-11

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा.....

9

वार्ड सभा टुटू वार्ड न0 6

आज दिनांक 14.4.16..... को वार्ड सभा की बैठक माननीय पार्षद श्रीमति निर्मला चौहान जी की अध्यक्षता में की गई जिसमें 34.20 सदस्यों में से 1831..... सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज की। इस बैठक के दौरान इस वार्ड में विकास के बहुत से कार्यों के बारे में प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन किया गया। इन प्रस्तावों में प्रस्ताव संख्या 18. द्वारा पुलिस चौकी जतोग के नए भवन निर्माण के लिए भूमि खसरा न0 1/2/1 रकबा 0-20-99 है0 नजद यादगार टुटू पर अनुमति प्रदान की गई।

यह प्रस्ताव अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

30/-

वार्ड सचिव


टुटू वार्ड न0 6


प्रतिलिपि

प्रेषित है।

✓

पुलिस अधीक्षक, शिमला जिला शिमला को अग्रीम कार्यवाही हेतु


Nirmala Chauhan
Councillor
Ward No. 6
Tutu, Shimla


वार्ड सचिव
टुटू वार्ड न0 6
Secretary
Forest Rights Committee,
Ward No-6, Tutu
Shimla-11